



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229665
CG-DL-E-16092021-229665

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943

No. 51]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

आ.अ. 53(अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 15 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य सभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें:

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 22 सितम्बर, 2021 (बुधवार)

(ख) नाम निर्देशनों की संविधा की तारीख - 23 सितम्बर, 2021 (गुरुवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 27 सितम्बर, 2021 (सोमवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 04 अक्तूबर, 2021 (सोमवार), और

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा- 06 अक्तूबर, 2021 (बुधवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा. सं. 318/रा.स.-पुडुचेरी/2021 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2021

O.N. 53(E).—Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on **15th September, 2021**, been pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the Union Territory of Puducherry to elect one member to the Council of States;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 22nd September, 2021 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 23rd September, 2021 (Thursday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 27th September, 2021 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 04th October, 2021 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 06th October, 2021 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from **09:00 am** to **04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the above mentioned State on the date specified above for the election.

[F. No. 318/CS-Pud./2021 (1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.